रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1982/अग्रहायण 19, 1904

No. 376] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1982/AGRAHAYANA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

सा० का० नि० 751 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये······को प्रवृत्त होंगे।

(2) राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 में,

(i) खण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) "नकदी" से भारतीय करेन्सी नकदी अभिप्रेत है ;"

(ii) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "अनिवासी" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (30) में उसका है;";

(iii) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) "भारत में निवास" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) में उसका है; ";

(2) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

6. पत्र के क्रय के लिए प्रक्रिया :—पत्र का क्रय करने का इच्छुक कोई व्यक्ति किसी डाकघर में आवेदन :—

(i) प्ररूप 1 में प्रस्तुत करेगा, या

(ii) यदि ऐसा आवेदन इस नियम के परन्तुक या नियम 8 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या तो स्वयं उसके द्वारा या उसके संदेशवाहक के माध्यम से प्ररूप 1 क में (जो सभी डाक घरों में मुफ्त मिलता है) किया जाएगा :

परन्तु जहां आवेदक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है या भारतीय उद्भव का व्यक्ति नहीं है, जो यथास्थिति अनिवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है वहां पत्र के क्रय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह, पितामही या मातामह या माता मही में से कोई अविभक्त भारत में जन्मा था" ;

(3) नियम 8 में,—

(i) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई बैंक, अदायगी आदेश या मांग देय ड्राफ्ट;";

(ii) निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां आवेदक कोई व्यष्टि है जो भारत का नागरिक है या भारतीय उद्भव का व्यक्ति है जो यथास्थिति निवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है वहां यदि वह यथास्थिति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (4ख) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (16ग) या दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (11घ) के अधीन फायदों का उपभोग करना चाहता है तो वह केवल निम्नलिखित रीतियों में से किसी में ऐसा संदाय करेगा, अर्थात् :—

(क) आवेदक भारत के किसी बैंक शाखा द्वारा में अपने अनिवासी (वैदेशिक) खाते में डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई बैंक ;

(ख) भारत में किसी बैंक की शाखा द्वारा आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते के प्रति विकलित करके या उसके विदेशी करेन्सी (अनिवासी) खाते में से प्रत्यहरण करके डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई मांग देय ड्राफ्ट या अदायगी आदेश उक्त बैंक शाखा से इस प्रमाणपत्र सहित जिसमें यह उल्लिखित हो कि उक्त मांग देय ड्राफ्ट या अदायगी आदेश उक्त खाते के प्रति विकलन करके या उससे प्रत्यहरण करके जारी किया गया है;

(ग) भारत के बाहर किसी देश में किसी बैंक द्वारा भारत में उसकी शाखा या तत्स्थानी बैंक का डाकपाल के पक्ष के लिखा गया कोई मांग देय ड्राफ्ट ;

(घ) विदेशों से किए गए प्रेषण के प्रमाणपत्र या विदेशी मुद्रा का रुपयों में संपरिवर्तन उपवर्णित करते हुए बैंक प्रमाणपत्र या आवेदक के पक्ष में जारी किए बैंक प्रमाणपत्र, जिसमें यह अधिकथित हो कि निधि आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते या विदेशी करेन्सी अनिवासी खाते से निर्गत हुई है, सहित नकदी ।

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह, पितामही या मातामह या मातामही में से कोई अभिकथित भारत में जन्मा था; ";

(4) नियम 9 के उपनियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु जहां पत्र या पत्रों के क्रय के लिए संदाय विदेशी करेन्सी में अभिव्यक्त चैक या आदायगी आदेश या मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है और उसके आगम आवेदित पत्र या पत्रों के अंकित मूल्य के समतुल्य नहीं है वहां पत्र उक्त आगमों के भीतर यथासंभव अधिकतम संकलित अंकित मूल्य के लिए जारी किए जाएंगे किंतु वे किसी भी दशा में आवेदित पत्र पत्रों से संकलित अंकित मूल्य से अधिक नहीं होंगे और उक्त आगमों की कोई अधिशेष रकम आवेदक के या ऐसी रकम प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रतिदाय कर दी जाएगी या आवेदक के डाकघर बचत बैंक में आवेदक के बचत खाते में जमा कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां संदाय नियम 8 के परन्तुक के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाता है वहां पत्र पाने वाले बैंक की शाखा से डाकघरों द्वारा यह सूचना प्राप्त करने पर ही जारी किया जाएगा जो चैक का संदाय पाने वाली बैंक की शाखा के पास आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते की प्रति विकलित करके किया गया है ;",

(5) नियम 10 में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि इस नियम में विनिर्दिष्ट पुराने पत्र के बदले पत्र जारी करने की सुविधा ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी जो यथास्थिति अनिवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है ;" ;

(6) नियम 18 के उपनियम (1) में "प्ररूप 1" शब्द और अंक के स्थान पर "यथास्थिति प्ररूप या प्ररूप 1क" शब्द अंक और अक्षर रखा जाएगा ;

(7) नियम 28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा , अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनिवासी है या उसकी ओर से नियम 6 या नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों की दशा में ऐसे ब्याज उक्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए कर का दायी नहीं होगा । ";

(8) नियम 28 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

28क-धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी नहीं है या उसकी ओर से नियम 6 या नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों की बाबत धन कर संदेय नहीं होगा ।

28ख-दान-कर—दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में निवासी नहीं है ऐसे व्यक्ति के भारत में किसी नातेदार को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियम 6 के अधीन या उसकी ओर से नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों के रूप में किए गए दानों की बाबत कोई दानकर प्रभार्य नहीं होगा ।";

(9) नियम 29 में,—

(i) उपनियम (1) में खण्ड (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण (1) के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यथास्थिति अनिवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है क्रय किए गए पत्र की दशा में ऐसे संव्यवहारों की बाबत कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी ।";

(ii) उपनियम (2) में परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, यथास्थिति अनिवासी है या भारत में निवासी नहीं है क्रय किए गए पत्र की दशा में कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी ।";

(10) प्ररूप 1 में "राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप" शीर्षक 1 में "आवेदन का प्ररूप" शब्दों के स्थान पर "आवेदन का साधारण प्ररूप शब्द" रखे जाएंगे ;

(11) प्ररूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रपत्र 1क

[देखिये नियम 6 तथा 18(1)]

भारतीय डाक तार विभाग

अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी नहीं हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप

क्रम सं०——————————

अनुदेश

(1) मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा निर्गम) के क्रय के लिए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूं/करते हैं :

अपेक्षित पत्रों की विशिष्टियां

अभिदान रु०	पत्रों की संख्या	कुल अंकित मूल्य (रु०)	प्रकार अर्थात संयुक्त "क" या "ख"@
5000			
1000			
500			
100			
50			
10			
योग			

(क) मेरे नाम/हमारे नामों में£ ——————————————————

(ख) अवयस्क की ओर से£ ——————————————————

अवयस्क की जन्म की तारीख——————————————————

†पत्र अवयस्क के पिता/माता/माता-पिता में से किसी एक/विधिक संरक्षक द्वारा भुनाने योग्य बनाया जाएगा।

‡(ग)——————————————————

के माध्यम से (बैंक शाखा का नाम और पता)

——————————————————के नाम में।£

——————————————————

@संयुक्त धृति के लिए भरा जाएगा संयुक्त "क" प्रकार पत्र दोनों धारकों को संयुक्ततः या उत्तरजीवी को संदेय है।

संयुक्त "ख" प्रकार दोनों में से किसी एक का या उत्तरजीवी को संदेय है।

(क)/(ख)/(ग) काट दीजिए यदि लागू न हो

£मोटे अक्षरों में नाम उपनामों सहित यदि हो तो, पता और निवास का देश

†कोई या सभी विकल्प काट दीजिए, यदि, अपेक्षित न हो

‡बैंक में अनिवासी (वैदेशिक)/विदेशी करेन्सी (अनिवासी) खाता रखने वाले व्यवहारी की ओर से किसी अधिसूचित बैंक के लिए।

*2 मैं/हम आवेदित पत्रों की क्रय कीमत हेतु,

(क) ——————————————————के डाकपाल के पक्ष में

——————————————————

(भारत में बैंक शाखा का नाम और पता)

के पास मेरे/हमारे अनिवासी (वैदेशिक) खाता सं० ——————————————————

पर —————————————————— रु० (——————————————————रुपए)

के लिए लिया गया बैंक सं० ——————————————————तारीख——————————————————

इसके साथ निविदित करता हूं/करते हैं।

**(ख)——————————————————के डाकपाल के पक्ष में

(डाकघर का नाम)

—————————————————— द्वारा

(भारत में बैंक शाखा का नाम और पता)

अनिवासी (वैदेशिक) खाता सं० के प्रति विकलित करके या——————————————————

*यथास्थिति (क)/(ख)/(ग)/(घ) भरें और शेष काट दें।

**आवेदक (आवेदकों) या व्यवहारी आवेदक (आवेदकों) की ओर से किसी अधिसूचित बैंक के लिए।

आवेदक (आवेदकों) का नाम और पता) के करेन्सी (अनिवासी) खाता सं० ---------- से समतुल्य निधियों के प्रत्याहरण द्वारा उक्त बैंक से इस प्रमाणपत्र सहित जिसमे यह पुष्ट किया गया है कि ड्राफ्ट/अदायगी आदेश ऊपर-निर्दिष्ट खाते के प्रति विकलन करके या उससे प्रत्याहरण करके जारी किया गया है ---------- रु० (---------- रुपए) के लिए जारी किया गया मांगदेय ड्राफ्ट/अदायगी आदेश सं० ---------- तारीख ---------- इसके साथ निविदत्त करता हूं/करते हैं

(ग) ---------- के डाकपाल के पक्ष मे ----------
(डाकघर का नाम)

(भारत के बाहर किसी देश में बैंक का नाम और पता)

द्वारा ----------

(भारत में उसकी शाखा या तत्स्थानी बैंक का नाम और पता)

पर ----------*के लिए लिखा गया मांगदेय ड्राफ्ट सं० ----------

तारीख ----------इसके साथ निविदत्त करता हूं/करते हैं ।

(घ) ---------- रु० (---------- रुपए) की नकद रकम, विदेशों से किए गए प्रेषणों के प्रमाण-पत्र/विदेशी मुद्रा का रुपए में संपरिवर्तन उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र यह उपदर्शित करते हुए प्रमाण-पत्र/यह उपदर्शित करते हुए कि निधियां

मेरे/हमारे अनिवासी (वैदेशिक)/विदेशी करेन्सी अनिवासी खाता सं० ----------से निर्गत हुई हैं, मेरे/हमारे पक्ष में ----------

(संबंधित बैंक का नाम और पता)

– ----------द्वारा जारी किया गया बैंक प्रमाणपत्र इसके साथ निविदत्त करता हूं।

*राशि अक्षरों और अकों में भारतीय या विदेशी मुद्रा में जैसा भी हो

3 मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूं/है कि

$(क) उन मामलों मे जहां डाकघर उन निधियों का, जिनमें से पत्रों का क्रय किया जाना है, स्रोत दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्र की अपेक्षा करता है वहां पत्र मुझे/हमें डाकघर द्वारा ऐसे बैंक प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही जारी किए जाएंगे ।

$$(ख) यदि चैक/मांगदेय ड्राफ्ट के आगम आवेदित पत्र (पत्रों) के अंकित मूल्य से कम हैं तो पत्र ऐसे आगमों के भीतर अधिकतम यथा संभव कुल अंकित मूल्य के लिए जारी किया जा सकेगा/किए जा सकेंगे;

यदि ऐसे आगम आवेदित पत्र (पत्रों) के अंकित मूल्य से अधिक है तो यथा आवेदित पत्र जारी किया जा सकेगा/किए जा सकेंगे; और

$$$दोनों में से किसी दशा में आगमों की शेष रकम का ----------

(व्यक्ति का नाम और पता)

को जो उसे प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, (ग) प्रतिदाय किया जा सकेगा, या डाकघर बचत बैंक ---------- -मे मेरे बचत खाता सं० ----------में जमा किया जा सकेगा।

(डाकघर का नाम)

%4. मैं/हम घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम भारत का/के नागरिक हूं/हैं भारतीय उद्भव का/के व्यक्ति हूं/हैं।

टिप्पण : किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उस के माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह या पितामही या माता मह या मातामही में से कोई अविभक्त भारत में जन्मा था।

%5. मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 का पालन करने का करार करता हूं/करते हैं।

%6. मुझे/हमें पहचान पर्ची की अपेक्षा है/नहीं है।

टिप्पण : अवयस्क की ओर से क्रय की दशा में उपर पैरा 1(ख) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई पहचान पर्ची जारी नहीं की जाएगी ।

ऊपर पैरा 1(ख) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के, यदि कोई हों,
हस्ताक्षर (अंगूठे का निशान नहीं)

तारीख ----------

पता ----------

आवेदक (आवेदकों) %% के हस्ताक्षर

तारीख ----------

पता ----------

$यहां लागू होगा जहां बैंक प्रमाणपत्र आवेदन के साथ नहीं प्रस्तुत किया जाता है।

$$केवल विदेश करेन्सी मे अभिव्यक्त चैक/ड्राफ्ट के लिए लागू ।

$$$यथास्थिति (ग) या (घ) काट दें।

%जो भाग लागू न हो उन्हें काट दें।

%%यदि आवेदक निरक्षर है तो उसके पिता का नाम भी दिया जाएगा ।

*पत्र और पहचान पर्ची श्री/श्रीमती —————————————————————————————— अभिकर्ता (प्राधिकार पत्र सं० ————————————————————————) या संदेशवाहक को, जो यह आवेदन प्रस्तुत करता है, दे दी जाए।

——————————————————————

**विनियोक्ता (विनियोक्ताओं) के हस्ताक्षर या (अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हों)

——————————————————————————————————————

*जो भाग लागू न हों उन्हें काट दें।

**हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल तब लगाया जाएगा जब विनियोक्ता पत्रों का परिदान स्वयं नहीं लेता है।

7. पत्र, जिनका ब्यौरा ऊपर दिया गया है और *** पहचान पर्ची प्राप्त की।

——————————————————————

क्रेता या उसके अभिकर्ता/संदेशवाहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्राधिकृत अभिकर्ता की दशा में उसका प्राधिकारपत्र सं० भी दी जानी चाहिए)

****आवेदक (आवेदकों) के पहचान चिह्न

****आवेदक (आवेदकों) के नमूना हस्ताक्षर

£8. सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबन्धों के अधीन मैं/हम इस आवेदन में वर्णित बचत पत्र (पत्रों) का/के धारक नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो मेरी/हमारी मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए बचत पत्र (पत्रों) और उस/उन पर शोध्य रकम का/के हकदार हो जाएगा/जाएंगे, इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्रम सं०	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का/के नाम	पूरा पता	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख

***यदि पहचान पर्ची की अपेक्षा नहीं की जाती है तो इसे काट दीजिए।

****तब दिए जाएंगे यदि पहचान पर्ची की अपेक्षा की जाती है और यदि आवेदन अभिकर्ता, संदेशवाहक या अधिसूचित बैंक के माध्यम से दिया जाता है।

£जो भाग लागू न हों उन्हें काट दें।

ऊपर क्रम सं०—————————————————————————पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं, मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————————————————————— (नाम और पूरा पता) को नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने पर उस/उन पर शोध्य रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

——————————————————————

साक्षी के हस्ताक्षर और पूरा पता

——————————————————————

धारक (धारकों) के हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान, यदि निरक्षर हो)

डाकघर द्वारा भरा जाएगा

जारी किए गए पत्रों के क्रम सं०	निर्गम कीमत रु०	पत्र के भुनाने की तारीख	डाकपाल के आद्याक्षर	अंतरण द्विप्रतियां जारी करना आदि जैसे टिप्पण और डाकपाल के आद्याक्षर

राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) की कुल संख्या

££वसूल की गई रकम -- रु०

££वह रकम जिसके लिए पत्र जारी किए गए -- रु०

पैरा 3(ख) के अनुसार प्रतिदाय की गई रकम -- रु०

तारीख -------------------- डाकपाल के हस्ताक्षर

[एफ 2/21/82--एन० एस० (i)]

££विदेशी करेन्सी में चैक/मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा विनिधान की दशा में।

टिप्पणी

मूल नियम 24 अप्रैल, 1981 के सा०का०नि० संख्या 309 (अ) में प्रकाशित किए गए हैं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1982

G.S.R. 751(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Savings Certificates (VI Issue) rules 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Savings Certificates (VI Issue) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1983.

2. In the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981,

(1) in rule 2—

(i) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ia) "cash" means cash in Indian currency;' ;

(ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:—

'(viiia) "non-resident" has the meaning assigned to it in clause (30) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);' ;

(iii) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:—

'(xi) "resident in India" has the meaning assigned to it in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);";

(2) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:

"6. **Procedure for purchase of certificate.**—Any person desiring to purchase a certificate, shall present at a post office, an application—

(i) in Form 1, or

(ii) if such application is made by any person referred to in the proviso to this rule or rule 8, in Form 1A, (obtainable free of cost at all post offices) either in person or through an authorised agent of the Small Savings Schemes:

Provided that where the applicant is an individual not being citizen of India or not being a person of Indian origin, who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India, prior approval of the Reserve Bank of India for the purchase of the certificate shall be necessary.

Explanation:—For the purposes of this rule, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents, was born in undivided India.";

(3) in rule 8, —

(i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) a cheque, pay order or demand draft drawn in favour of the post master;";

(iii) the following proviso and Explanation shall be added at the end, namely: —

Provided that where the applicant is an individual, being a citizen of India or a person of Indian origin who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India, he shall, if he desires to avail of the benefits under clause (4B) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), or clause (xvic) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or clause (iid) of sub-section (1) of section 5 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), as the case may be, make such payment only in any of the following modes, namely: —

(a) a cheque in favour of the postmaster drawn by the applicant on his Non-Resident (External) Account with a bank branch in India;

(b) a demand draft or pay order in favour of the postmaster issued by a bank branch in India by debit to the applicant's Non-Resident (External) Account or by withdrawal from his Foreign Currency (Non-Resident) Account together with a certificate from the said bank branch stating that the said demand draft or pay order has been issued by debit to or withdrawal from the said account;

(c) a demand draft drawn in favour of the postmaster by a bank in a country outside India on its branch or correspondent bank in India;

(d) cash, together with foreign inward remittance certificate or bank certificate indicating conversion of foreign exchange in rupees or bank certificate issued in favour of the applicant stating that the funds have emanated from the applicant's Non-Resident (External) Account or Foreign Currency (Non-Resident) Account

Explanation:—For the purposes of this rule, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents was born in undivided India.";

(4) in rule 9, to sub-rule (2), the following provisos shall be added, namely:—

"Provided that where the payment for purchase of certificate or certificates is made by means of a cheque, pay-order or demand draft expressed in a foreign currency and the proceeds thereof are not equivalent to the face value of the certificate of the certificates applied for, a certificate or certificates shall be issued for the maximum aggregate face value possible within the said proceeds but in any case not exceeding the aggregate face value of the certificate or the certificates applied for and any balance amount of the said proceeds shall be refunded to the applicant or to any person authorised by him to receive such amount or credited to the savings account, if any, of the applicant in the post office savings bank:

Provided further that where the payment is made in the manner specified in clause(a) of the proviso to rule 8, the certificate shall be issued only after the post office receives an intimation from the drawee bank branch that the cheque has been paid by debit to the applicant's Non-Resident (External) Account with the said drawee bank branch.";

(5) in rule 10, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that the facility of issue of a certificate in lieu of an old certificate specified in this rule shall not be available to a person who is a non resident or, as the case may be, who is not resident in India.";

(6) in sub-rule (1) of rule 18, for the word and figure "Form 1", the words, figures and letter "Form 1 or, as the case may be, Form 1A" shall be substituted;

(7) to rule 28, the following proviso shall be added, namely:

"Provided that such interest shall not, in the case of certificates purchased under rule 6 or rule 7 by or on behalf of a person who is a non-resident, be liable to tax subject to the fulfillment of the conditions specified in this behalf in the said Act."

(8) after rule 28, the following rules shall be inserted, namely:

"28A. Wealth-tax.—Subject to the conditions specified in this behalf in the Wealth-tax Act, 1957, (27 of 1957), wealth-tax shall not be payable in respect of certificates purchased under rule 6 or rule 7 by or on behalf of a person who is not resident in India.

28B. Gift-tax.—Subject to the conditions specified in this behalf in the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), gift-tax shall not be charged in respect of gifts made by a person who is not resident in India to any relative of such person in India in the form of certificates purchased by such person under rule 6 or on his behalf under rule 7.";

(9) in rule 29,—

(i) in sub-rule(1), after clauses (iv) and before Explanation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that no fee shall be chargeable in respect of such transactions in the case of a certificate purchased by a person who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India,";

(ii) in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided further that no fee shall be charged in the case of a certificate purchased by a person who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India.";

(10) in Form 1, in the heading "Form of Application for the purchase of National Savings Certificates (VI Issue)", for the words "Form of Application", the words "General Form of Application" shall be substituted;

(11) after Form 1, the following Form shall be inserted, namely:—

FORM 1A

[See rules 6 and 18 (1)]

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Form of application for purchase of National Savings Certificates (VI Issue) by non-resident or person who is not resident in India.

Serial No.———

(1) I/We hereby apply for the purchase of National Savings Certificates (VI Issue) as detailed below:

Particulars of Certificates required

Denomination (Rs.)	Number of Certificates	Total face value (Rs.)	Type Joint i.e. 'A' or 'B'@
5000			
1000			
500			
100			
50			
10			
Total			

@To be filled only for joint-holding.

Joint 'A' type Certificate is payable to both holders jointly or to the survivor; joint 'B' type is payable to either or survivor.

(a) in my/our name(s)£

(b) on behalf of minor£

Date of birth of minor

(*) Certificate to be made encashable by father/mother/either parent/legal guardian of the minor.

(**) (c) in the name of £

through

(name and address of bank branch).

Strike out (a)/(b)/(c) if not applicable.

£Give in block capitals name(s) with aliases, if any, address and country of residence.

(*)Strike out any or all of the alternatives, if not required.

**for a Scheduled Bank on behalf of client having Non-Resident (External)/Foreign currency (Non-Resident) Account with the bank

*2. I/We tender herewith towards the purchase price of the certificates applied for,

(a) Cheque No.—dated—in favour of the Postmaster—for Rs.—Rupees

(Name of Post Office)

—) drawn on my/our—Non-Resident (External) Account No.—with—

(Name and address of bank branch in India)

**(b) demand draft/pay order No.—dated—in favour of the Postmaster—for Rs.—

(Name of Post Office)

Rupees

issued by

(Name and address of bank branch in India)

by debit to Non-Resident (External) Account No.—or by withdrawal of equivalent funds from Foreign Currency (Non-Resident) Account No.—of

(Name(s) and address of applicant(s))

together with a certificate from the said bank confirming that the draft/pay order has been issued by debit to or withdrawal from the account referred to above.

(c) Demand Draft No.—dated—in favour of the Postmaster

(Name of Post Office)

for***

drawn by

(Name and address of bank in a country outside India)

—on

(Name and address of its branch or correspondent bank in India)

(d) A sum of Rs.—Rupees—)in cash together with foreign inward remittance certificate/bank certificate indicating conversion of foreign exchange in rupees/bank certificate indicating that the funds have emanated from my/our Non-Resident (External)/Foreign Currency (Non-Resident) Account No.—issued in my/our favour by—

(Name and address of the bank concerned).

*Fill up (a)/(b)/(c)/(d) as the case may be and delete the rest.

**for applicant(s) or for a Scheduled Bank or behalf of client applicant(s).

***amount in Indian or foreign currency, as the case may be, in words and figures.

3. I/We agree that

*(a) in cases where the Post Office requires a bank certificate showing the source of funds out of which the certificates are to be purchased, the certificates will be issued to me/us only on receipt of such bank certificate by the Post Office.

**(b) in case the proceeds of the cheque/demand draft are less than the face value of certificate(s) applied for, certificate(s) may be issued for the maximum possible total face value within such proceeds;

in case such proceeds are more than the face value of certificate(s) applied for, certificate(s) may be issued as applied for; and

£ in either case, any balance amount of the proceeds may be (c) refunded to—————————————

(Name and address of person)

who is hereby authorised by me/us to receive the same, or (d) credited to my savings account No.————————— in post office savings bank ——————————————(Name of post office).

*applicable where the required bank certificate is not submitted with the application.

**applicable only for cheque/draft expressed in foreign currency.

£ delete (c) or (d) as the case may be :

4. *I/We declare that *I am/we are citizen (s) of India/person(s) of Indian origin.

Note : A person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of the grand parents, was born in undivided India.

5. *I/We agree to abide by the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981.

6. *I/We do/do not require identity slip.

Note: No identity slip shall be issued to a person other than the one authorised vide paragraph 1(b) above in case of purchase on behalf of a minor.

Signature (not thumb impression) of the person(s) authorised if any, as per paragraph 1(b) above.

Date ——————————

Address ——————————

Signature (or thumb impression if illiterate) of applicant(s)**

Date ——————————

Address ——————————

* The certificate(s) and the identity slip may be made over to Shri/Smt.—————————————Agent (Authority No.——————————) or messenger who presents this application.

†Signature (or thumb impression if illiterate) of investor(s)

Date ——————————

*To be signed or thumb impression affixed only when the investor does not take delivery of certificates personally.

7. Received the certificates(s) detailed above and $ identity slip.

Signature or thumb impression of purchaser or his agent/messenger. (In case of authorised agent his Authority No. should be given).

$$Marks of identification of applicant(s)

$$Specimen Signature(s) of applicant(s)

$Cross out, if the identity slip is not required.

$$To be furnished if identity slip is required under paragraph 6 and if the application is submitted through an agent, messanger of scheduled bank.

£8. Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I/We——————————— the holder(s) of Savings Certificate(s) mentioned in this application hereby nominate the person(s) mentioned below who shall, on my/our death, become entitled to the Savings Certificate(s) and the amount due thereon to the exclusion of all other persons:—

Serial No.	Name(s) of the Nominee(s)	Full address	Date of birth of nominee if minor
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

*Strike out portions not applicable.

**If the applicant is illiterate, his father's name may also be given.

£Strike out portions not applicable.

As the nominee(s) at serial No. (s)——————————above is/are minor(s
I/we appoint Shri/Smt./Kumari——————————(name and full address) as the person to receive the amount due thereon in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).

Signature and full address of witness

Signature (or thumb impression if illiterate) of holder(s).

To be completed by the Post Office

Sl. No. of Certificates issued	Issue price Rs.	Date of encashment of certificate	Initials of Post-master	Remarks like transfer, issue of duplicates etc., & initials of Postmaster

Total No. of National Savings Certificates:
(VI Issue) ——————————
*Amount realised Rs. ——————————
Certificate(s) issued for Rs. ——————————
Amount refunded as per paragraph 3 (b) Rs. ——————————

Signature of Postmaster

Date—

[F.2/21/82—NS(i)]

*In case of investment by cheque/demand draft in foreign currency.
Note :—Principal rules published vide G.S.R. No. 309 (E) dated 24-4-81.

सा० का० नि० 752 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) यह को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 में,

(i) खण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(1क) "नकदी" से भारतीय करेन्सी में नकदी अभिप्रेत है';

(ii) खण्ड (8) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(8क) "अनिवासी" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (30) में उसका है;';

(iii) खण्ड (10) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(11) "भारत में निवासी" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) में उसका है;';

(2) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. पत्र के क्रय के लिए प्रक्रिया : पत्र का क्रय करने का इच्छुक कोई व्यक्ति किसी डाकघर में आवेदन-

(i) प्ररूप 1 में प्रस्तुत करेगा, या

(ii) यदि ऐसा आवेदन इस नियम के परन्तुक या नियम 8 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या तो स्वंय उसके द्वारा संदेशवाहक के माध्यम से प्ररूप 1क में (जो सभी डाकघरों में मुफ्त मिलता है) किया जाएगा :

परन्तु जहां आवेदक ऐसा व्यष्टि है जो भारत का नागरिक नहीं है या भारतीय उद्भव का व्यक्ति नहीं है, जो यथास्थिति अनिवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है वहां पत्र के क्रय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण :- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह, पितामही या मातामह या मातामही में से कोई अविभक्त भारत में जनमा था;';

(3) नियम 8 में, -

(i) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई चैक, अदायगी आदेश या मांग देय ड्राफ्ट";

(ii) निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु जहां आवेदक कोई ऐसा व्यष्टि है जो भारत का नागरिक है या भारतीय उद्भव का व्यक्ति है जो यथा स्थिति निवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है वहां यदि वह यथास्थिति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (4ख) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 की धारा 5 की उपधारा (1)

के खण्ड (16ग) या धनकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 5 की उपधारा (i) के खण्ड (iiध) के अधीन फायदों का उपयोग करना चाहता है तो वह केवल निम्नलिखित रीतियों में से किसी में ऐसा संदाय करेगा, अर्थात् :-

(क) आवेदक द्वारा भारत में किसी बैंक शाखा में अपने अनिवासी (वैदेशिक) खाते पर डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई चैक ;

(ख) भारत में किसी बैंक शाखा द्वारा आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते के प्रति विकलित करके या उसके विदेशी करेन्सी (अनिवासी) खाते में से प्रत्याहरण करके डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई मांग देय ड्राफ्ट या अदायगी आदेश उक्त बैंक शाखा से इस प्रमाणपत्र सहित जिसमें यह उल्लिखित हो कि उक्त मांग देय ड्राफ्ट या अदायगी आदेश उक्त खाते के प्रति विकलन करके या उससे प्रत्याहरण करके जारी किया गया है ;

(ग) भारत के बाहर किसी देश में किसी बैंक द्वारा भारत में उसकी शाखा या तत्स्थानी बैंक पर डाकपाल के पक्ष में लिखा गया कोई मांग देय ड्राफ्ट ;

(घ) विदेशों से किए गए प्रेषण के प्रमाणपत्र या विदेशी मुद्रा का रुपयों में संपरिवर्तन उपदर्शित करते हुए बैंक प्रमाणपत्र या आवेदक के पक्ष में जारी किए बैंक प्रमाणपत्र, जिसमें यह अभिकथित हो कि निधि आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते या विदेशी करेन्सी अनिवासी खाते से निर्गत हुई है, सहित नकदी ।

स्पष्टीकरण : इस नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह, पितामही या मातामह या मातामही में से कोई अधिभक्त भारत में जन्मा था ;

(4) नियम 9 के उपनियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा : अर्थात :-

"परन्तु जहां पत्र या पत्रों के क्रय के लिए संदाय विदेशी करेन्सी में अभिव्यक्त चैक या आदायगी आदेश या मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है और उसके आगम आवेदित पत्र या पत्रों के अंकित मूल्य के समतुल्य नहीं हैं वहां पत्र उक्त आगमों के भीतर यथासंभव अधिकतम संकलित अंकित मूल्य के लिए जारी किए जाएंगे किन्तु वे किसी भी दशा में आवेदित पत्र या पत्रों के संकलित अंकित मूल्य से अधिक नहीं होंगे और उक्त आगमों की कोई अधिशेष रकम आवेदक को या ऐसी रकम प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रतिदाय कर दी जाएगी या डाकघर बचत बैंक में आवेदक के बचत खाते में जमा कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां संदाय नियम 8 के परन्तुक के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाता है वहां पत्र पाने वाले बैंक की शाखा से डाकघर द्वारा यह सूचना प्राप्त करने पर ही जारी किया जाएगा कि चैक का संदाय पाने वाली बैंक शाखा के पास आवेदक के अनिवासी (वैदेशिक) खाते की प्रति विकलित करके किया गया है" ;

(5) नियम 10 में निम्नलिखित परन्तुक अंत में अन्तःस्थापित किया जाएगा । अर्थात्:-

परन्तु यह कि इस नियम में विनिर्दिष्ट पुराने पत्र के बदले पत्र जारी करने की सुविधा ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी जो, यथास्थिति, अनिवासी है या जो भारत में निवासी नहीं है ;

(6) नियम 19 के उपनियम (1) में "प्रकरण 1" शब्द और अंक के स्थान पर "यथास्थिति प्रकरण 1 या प्रकरण 1क" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा;

(7) नियम 28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनिवासी है या उसकी ओर से नियम 6 या नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों की दशा में ऐसा ब्याज, उक्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए , कर का दायी नहीं होगा ।"

(8) नियम 28 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"28क-धन-कर—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी नहीं है , या उसकी ओर से नियम 6 या नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों की बाबत धन-कर संदेय नहीं होगा ।

28ख-दान-कर—दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में निवासी नहीं है ऐसे व्यक्ति के भारत में किसी नातेदार को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियम 6 के अधीन या उसकी ओर से नियम 7 के अधीन क्रय किए गए पत्रों के रूप में किए गए दानों की बाबत कोई दान-कर प्रभार्य नहीं होगा।" ;

(9) नियम 29 में, -

(i) उपनियम (1) में, खण्ड (4) के पश्चात और स्पष्टीकरण (1) के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, यथास्थिति , अनिवासी है , यह जो भारत में निवासी नहीं है क्रय किए गए पत्र की दशा में ऐसे संव्यवहारों की बाबत कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी । " ;

(ii) उपनियम (2) में परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त. स्थापित किया जाएगा , अर्थात :-

"परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, यथास्थिति अनिवासी है या भारत में निवासी नहीं है क्रय किए गए पत्र की दशा में कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।" ;

(10) प्रकरण 1 में "राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्रकरण" शीर्षक में "आवेदन का प्रकरण" शब्दों के स्थान पर आवेदन का साधारण प्रकरण शब्द रखे जाएंगे ;

(11) प्रकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित प्रकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

"प्ररूप 1क

[देखिये नियम 6 तथा 18(1)]

भारतीय डाक तार विभाग

अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी नहीं हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप

अनुदेश   क्रम सं०————

(1) मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) के क्रय के लिए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, आवेदन करता हूं/करते हैं :

अपेक्षित पत्रों की विशिष्टियां

अभिधान रु	पत्रों की संख्या	कुल अंकित मूल्य (रु)	प्रकार अर्थात संयुक्त "क" या "ख"
1	2	3	4
5000			
1000			
500			
100			
50			
10			
योग			

(क) मेरे नाम/हमारे नामों में**

(ख) अवयस्क की ओर से**————

अवयस्क की जन्म की तारीख ————

†पत्र अवयस्क के पिता/माता/माता-पिता में से किसी एक/ विधिक संरक्षक द्वारा भुनाने योग्य बनाया जाएगा ।

††————

के माध्यम से (बैंक शाखा का नाम और पता)

**———— के नाम में ।

*संयुक्त धृति के लिए भरा जाए। संयुक्त "क" प्रकार पत्र दोनों धारकों को संयुक्ततः या उत्तरजीवी को संदेय है।

संयुक्त "ख" प्रकार दोनों में से किसी एक को या उत्तरजीवी को संदेय है ।

(क)/(ख)/(ग) काट दीजिए यदि लागू न हो

**मोटे अक्षरों में नाम उपनामों सहित यदि कोई हो पता और निवास का देश

†कोई या सभी विकल्प काट दीजिए, यदि अपेक्षित न हों

††बैंक में अनिवासी (वैदेशिक)/विदेशी करेन्सी (अनिवासी) खाता रखने वाले व्यवहारी की ओर से किसी अधिसूचित बैंक के लिए ।

†"2 मैं/हम आवेदित पत्रों की क्रय कीमत हेतु,

(क) ————के डाकपाल के पक्ष में

(भारत में बैंक शाखा का नाम और पता)

के पास मेरे/हमारे अनिवासी (वैदेशिक) खाता सं————पर————रु (————रुपए) के लिए लिखा गया चेक सं०————तारीख————इसके साथ निविदत्त करता हूं/करते हैं ।

††(ख) ————के डाकपाल के पक्ष में

(डाकघर का नाम)

————द्वारा अनिवासी (वैदेशिक) खाता सं० के प्रति विकलित करके या————

(भारत में बैंक शाखा का नाम और पता)

————आवेदक/(आवेदकों) का नाम और पता के करेन्सी (अनिवासी) खाता सं० ————से समतुल्य निधियों के प्रत्याहरण द्वारा उक्त बैंक से इस प्रमाणपत्र सहित जिसमें यह पुष्ट किया गया है कि ड्राफ्ट/अदायगी आदेश ऊपर-निर्दिष्ट खाते के प्रति विकलन करके या उससे प्रत्याहरण करके जारी किया गया है————रु० (————रुपए)††† के लिए जारी किया गया मांगदेय ड्राफ्ट/अदायगी आदेश सं०————तारीख————इसके साथ निविदत्त करता हूं/करते हैं

(ग) ————के डाकपाल के पक्ष में————

(डाकघर का नाम)   (भारत के बाहर किसी देश में बैंक का नाम और पता)

द्वारा ————

(भारत में उसकी शाखा या तत्स्थानी बैंक का नाम और पता) पर————†††के लिए लिखा गया मांगदेय ड्राफ्ट सं०————

तारीख ————इसके साथ निविदत्त करता हूं/करते हैं ।

(घ) ————रु०————रुपए की नकद रकम, विदेशों से किए गए प्रेषणों के प्रमाणपत्र/विदेशी मुद्रा का रुपए में संपरिवर्तन उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र या प्रदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र/यह उपदर्शित करते हुए कि निधियां

†यथास्थिति (क)/(ख)/(ग)/(घ) भरें और शेष काट दें ।

††आवेदक/(आवेदकों) या व्यवहारी आवेदक (आवेदकों) की ओर से किसी अधिसूचित बैंक के लिए ।

†††राशि अक्षरों और अंकों में भारतीय या विदेशी मुद्रा में जैसा भी हो ।

मेरे/हमारे अनिवासी (वैदेशिक)/विदेशी करेन्सी अनिवासी खाता सं०——————————से- निर्गत हुई है, मेरे/हमारे पक्ष में————————————————————द्वारा जारी किया गया बैंक प्रमाणपत्र इसके साथ निविदत करता हूं ।

(संबंधित बैंक का नाम और पता)

3. मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूं/हैं कि

*(क) उन मामलों में जहां डाकघर उन निधियों का, जिनमें से पत्रों का क्रय किया जाना है, स्रोत दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्र की अपेक्षा करता है वहां पत्र मुझे/हमें डाकघर द्वारा ऐसे बैंक प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही जारी किए जाएंगे ।

**(ख) यदि चैक/मांगदेय ड्राफ्ट के आगम आवेदित पत्र (पत्रों) के अंकित मूल्य से कम हैं तो पत्र ऐसे आगमों के भीतर अधिकतम यथासंभव कुल अंकित मूल्य के लिए जारी किया जा सकेगा/किए जा सकेंगे,

यदि ऐसे आगम आवेदित पत्र (पत्रों) के अंकित मूल्य से अधिक हैं तो यथा- आवेदित पत्र जारी किया जा सकेगा/किए जा सकेंगे; और

***दोनों में से किसी दशा में आगमों की शेषरकम का——————————————को जो उसे प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा

(व्यक्ति का नाम और पता)

प्राधिकृत किया जाता है, (ग) प्रतिदाय किया जा सकेगा,/या डाकघर बचत बैंक————————————में मेरे बचत खाता संख्या———

(डाकघर का नाम)

————————————में जमा किया जा सकेगा ।

*वहीं लागू होगा जहां बैंक प्रमाणपत्र आवेदन के साथ नहीं प्रस्तुत किया जाता है

**केवल विदेशी करेन्सी में अभिव्यक्त चैक/ड्राफ्ट के लिए लागू ।

***यथास्थिति (ग) या (घ) काट दें ।

4. †मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत का/के नागरिक हूं/हैं भारतीय उद्भव का/के व्यक्ति हूं/हैं ।

टिप्पण : किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय उद्भव का है यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई अविभक्त भारत में जन्मा था ।

5. †मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 का पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

6. †मुझे/हमें पहचान पत्रों की अपेक्षा है/नहीं है ।

टिप्पण :—अवयस्क की ओर से क्रय की दशा में ऊपर पैरा 1 (ख) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई पहचान पर्ची जारी नहीं की जाएगी ।

ऊपर पैरा 1(ख) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के, यदि कोई हों, हस्ताक्षर (अंगूठे का निशान हो)	आवेदक (आवेदकों) †† के हस्ताक्षर
तारीख————	तारीख————
पता————	पता————

††पत्र और पहचान पर्ची श्री/श्रीमती————————————अभिकर्ता (प्राधिकारपत्र सं०————————) या संदेशवाहक को, जो यह आवेदन प्रस्तुत करता है, दे दी जाए ।

*————————

विनियोक्ता (विनियोक्ताओं) के हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो)††††

†जो भाग लागू न हो उन्हें काट दें ।

††यदि आवेदक निरक्षर हो तो उसके पिता का नाम भी दिया जाएगा

†††जो भाग लागू न हो उन्हें काट दें ।

††††हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल तब लगाया जाएगा जब विनियोक्ता पत्रों का परिदान स्वयं नहीं लेता है ।

7. पत्र, जिनका ब्यौरा ऊपर दिया गया है और $ पहचान पर्ची प्राप्त की ।

————————————

क्रेता या उसके अभिकर्ता/संदेशवाहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(प्राधिकृत अभिकर्ता की दशा में उसका प्राधिकार पत्र सं० भी दी जानी चाहिए)

$$आवेदक (आवेदकों) के पहचान चिह्न	$$आवेदक (आवेदकों) के नमूना हस्ताक्षर

$यदि पहचान पर्ची की अपेक्षा नहीं की जाती है तो इसे काट दीजिए ।

$$तब दिए जाएंगे यदि पहचान पर्ची की अपेक्षा की जाती है और यदि आवेदन अभिकर्ता, संदेशवाहक या अधिसूचित बैंक के माध्यम से किया जाता है

*8, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबन्धों के अधीन मैं/हम इस आवेदन में वर्णित बचत पत्र (पत्रों) का/के धारक नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) के जो मेरी/हमारी मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए बचत पत्र (पत्रों) और उन पर शोध्य रकम का/के हकदार हो जाएगा/जाएंगे, इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करते है :—

क्रम सं	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियो) का/के नाम	पूरा पता	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख

ऊपर क्रम सं०----------पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं, मैं/हम श्री श्रीमती/कुमारी----------(नाम और पूरा पता)----------

को नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु हो जाने पर उस/उन पर शोध्य रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं ।

साक्षी के हस्ताक्षर और पूरा पता

धारक (धारकों) के हस्ताक्षर (या अंगूठे का निशान, यदि निरक्षर हो)

डाकघर द्वारा भरा जाएगा

जारी किए गए पत्रों के क्रम सं०	निर्गम कीमत रु०	पत्र के भुनाने की तारीख	डाकपाल के आद्याक्षर	अंतरण द्विप्रतियां जारी करना आदि जैसे टिप्पण और डाकपाल के आद्याक्षर

राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) की कुल संख्या----------

**वसूल की गई रकम ----------रु०

*वह रकम जिसके लिए पत्र जारी किए गए----------रु० धारा 3(ख) के अनुसार प्रतिदाय की गई रकम----------रु०

*जो भाग लागू न हो उन्हें काट दें ।

**विदेशी करेन्सी में चैक/मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा विनिधान की दशा में ।

डाकपाल के हस्ताक्षर ।"

तारीख----------

[एफ० 2/21/82-एन०एस० (II)]

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम 24 अप्रैल, 1981 के सा०का०नि० संख्या 310(अ) में प्रकाशित किए गए हैं।

G.S.R. 752(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules 1981, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1983.

2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981

(1) in rule 2—

(i) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

'(ia) "cash" means cash in Indian currency;'

(ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely :—

'(viiia) "non-resident" has the meaning assigned to it in clause(30) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);';

(iii) after clause(x), the following clause shall be inserted, namely :—

'(xi) "resident in India" has the meaning assigned to it in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);'

(2) for rule 6, the following rule shall be substituted namely :—

"Procedure for purchase of certificate:—

Any person desiring to purchase a certificate, shall present at a post office, an application—

(i) in Form 1, or

(ii) if such application is made by any person referred to in the proviso to this rule or rule 8, in Form 1A, (obtainable free of cost at all post offices) either in person or through an authorised agent of the Small Savings Schemes:

Provided that where the applicant is an individual not being a citizen of India or not being a person of Indian origin, who is a non resident or, as the case may be, who is not resident in India, prior approval of the Reserve Bank of India for the purchase of the certificate shall be necessary.

Explanation :—For the purposes of this rule, a person shall be deemed to be of Indain origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents, was born in undivided India.";

(3) in rule 8,—

(i) for clause (ii) , the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) a cheque, pay order or demand draft drawn in favour of the postmaster;"

(ii) the following proviso and Explanation shall be added at the end, namely :—

Provided that where the applicant is an individual, being a citizen of Indian or a person of India origin who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India, he shall, if he desires to avail of the benefits under clause (4B) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), or clause (xvic) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or clause (iid) of sub-section (1) of section 5 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), as the case may be, make such payment only in any of the following modes, namely :—

(a) a cheque in favour of the postmaster drawn by the applicant on his Non-Resident (External) Account with a bank branch in India;

(b) a demand draft or pay order in favour of the postmaster issued by a bank branch in India by debit to the applicant's Non-Resident (External) Account or by withdrawal from his Foreign Currency (Non-Resident) Account together with a certificate from the said bank branch stating that the said demand draft or pay order has been issued by debit to or withdrawal from the said account;

(c) a demand draft drawn in favour of the postmaster by a bank in a country outside India on its branch or correspondent bank in India;

(d) cash, together with foreign inward remittance certificate or bank certificate indicating conversion of foreign exchange in rupees or bank certificate issued in favour of the applicant stating that the funds have emantated from the applicant's Non-Resident (External) Account or Foreign Currency (Non-Resident) Account.

Explanation.—For the purposes of this rule, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents was born in undivided India.";

(4) in rule 9, to sub-rule (2), the following provisios shall be added, namely :—

'Provided that where the payment for purchase of certificate certificates is made by means of a cheque, pay order or demand draft expressed in a foreign currency and the proceeds thereof are not equivalent to the face value of the certificate or the certificates applied for, a certificate or certificates shall be issued for the maximum aggregate face value possible within the said proceeds but in any case not exceeding the aggregate face value of the certificate of the certificates applied for and any balance amount of the said proceeds shall be refunded to the applicant or to any person authorised by him to receive such amount or credited to the savings account, if any, of the applicant in the post office savings bank :

Provided further that where the payment is made in the manner specified in clause(a) of the proviso to rule 8 the certificate shall be issued only after the post office receives an intimation from the drawee bank branch that the cheque has been paid by debit to the applicant's Non-Resident (External) Account with the said drawee bank branch."; (5) in rule 10 the following proviso shall be inserted at the end namely :—

"Provided that the facility of issue of a certificate in lieu of an old certificate specified in this rule shall not be available to a person who is a non-resident or as the case may be who is not resident in India.";

(6) in sub-rule (1) of rule 18 for the word and figure "Form 1" the words figures and letter "Form 1 or as the case may be Form 1A" shall be substituted;

(7) to rule 8, the following provlso shall be added, namely:— "Provided that such interest shall not, in the case of certificates purchased under rule 6 or rule 7 by or on behalf of a person who is a non-resident, be liable to tax subject to the fulfilment of the conditions specified in thi behalf in the said Act.";

(8) after rule 28, the following rules shall be inserted, namely :—

"28.A. Wealth-tax.— Subject to the conditions specified in this behalf in the Wealth-tax Act, 1957, (27 of 1957), wealth-tax shall not be payable in respect of certificates purchased under rule 6 or rule 7 by or on behalf of a person who is not resident in India.

28B. Gift-tax,— Subject to the conditions specified in this behalf in the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), gift-tax shall not be charged in respect of gifts made by a person who is not resident in India to any relative of such person in India in the form of certificate purchased by such person under rule 6 or on his behalf under rule 7.";

(9) in rule 29,—

(i) in sub-rule (1), after clause (iv) and before Explanation (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no fee shall be chargeable in respect of such transactions in the case of a certificate purchased by a person who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India.";

(ii) in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that no fee shall be charged in the case of a certificate purchased by a person who is a non-resident or, as the case may be, who is not resident in India.";

(10) In Form 1, in the heading "Form of Application for the purchase of National Savings Certificates (VII Issue)", for the words "Form of Application", the words "General Form of Application" shall be substituted;

(11) after Form 1, the following Form shall be inserted, namely :—

FORM IA

[See rules 6 and 18 (1)]

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Form of appoication for purchase of National Savings Certificates (VII Issue) by non-reisdent or person who is not resident in India.

Serial No.————————

(1) I/we hareby apply for the purchase of National Savings Certifictes (VII Issue) as detailed below :

Particulars of Certificates required

Denomination (Rs.)	Number of Certificetes	Total face value (Rs.)	Type i.e. Joint 'A' or 'B' @
5000			
1000			
500			
100			
Total			

(a) in my/our name(s) £ ————————————————

(b) on behalf of minor £————————————————
Date of birth of minor————————————————

(+) Certificate to be made encahsable by father/mother/either parent/legal guardian of the minor.

++(c) in the name of £ ————————————————
through ————————————————
(name and address of bank branch).

@To be filled only for joint-holding.

Joint 'A' type Certificate is payable to both holders jointly or to the suvivor; joint 'B' type is payable to either or survivor.

Strike out (a)/(b)/(c) if not applicable.

£ Give in block capitals name(s) with aliases, if any, address and country of residence.

(+) Strike out any or all of the alternatives, if not required.

++for a Scheduled Bank on behalf of client having Non-Resident (External)/Foreign currency (Non-Resident) Account with the bank.

*2. I/We tender herewith towards the purchase price of the certificates applied for,

(a) Cheque No. ————————dated————————in favour of the Postmaster ————————for Rs.————————
(Name of Post Office)

Rupees————————) drawn on my/our Non-Resident (External) Account No.————————with————————
(Name and address of bank branch in India)

**(b) demand draft/pay order No.————————dated————————
in favour of the Postmatser————————for Rs—.————————
(Name of Post Office)

(Rupees————————
issued by————————
(Name and address of bank branch in India)

by debit to Non-Resident (External) Account No.————————or by withdrawal of equivalent funds from Foreign Currency (Non-Resident) Account No.————————
of ————————
(Name and address of applicant(s)

together with a certificate from the said bank confirming that the draft/pay order has been issued by debit to or withdrawal from the account referred to above.

(c) Demand Draft No. ——————————dated——————————in favour of the Post-master—————————————for ***——————————
(Name of Post Office)

drawn by ——————————————————————————
(Name and address of bank in a country outside India)

on——————————————————————————
(Name and address of its branch or correspondent bank in India).

(d) A sum of Rs.——————————Rupees——————————————) in cash together with foreign inward remittance certificate/bank certificate indicating conversion of foreign exchange in rupees/bank certificate indicating that the funds have emanated from my/our Non-Resident (External)/Foreign Currency (Non-Resident) Account No.————————————issued in my/our favour by——————————————
(Name and address of the bank concerned).

*Fill up (a)/(b)/(c)/(d) as the case may be and delete the rest.

**for applicant(s) or for a Scheduled Bank or behalf of client applicant(s).

***amount in Indian or foreign currency, as the case may be, in words and figures.

3. I/We agree that—

†(a) in cases where the Post Office requires a bank certificate showing the source of funds out of which the certificates are to be purchased, the certificates will be issued to me/us only on receipt of such bank certificate by the Post Office.

‡(b) in case the proceeds of the cheque/demand draft are less than the face value of certificate(s) applied for, certificate(s) may be issued for the maximum possible total face value within such proceeds;

in case such proceeds are more than the face value of certificate(s) applied for, certificate(s) may be issued as applied for; and

£ in either case, any balance amount of the proceeds may be (c) refunded to ——————————
(Name and address of person)

who is hereby authorised by me/us to receive the same, or (d) credited to my savings account No.——— in post office savings bank——————————(Name of post office)

†Applicable where the required bank certificate is not submitted with the application

‡applicable only for cheque/draft expressed in foreign currency.

£ delete (c) or (d) as the case may be

4. $I/We declare that * I/am/we are citizen(s) of India/person(s) of Indian origin.

Note : A person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents or any of his grand-parents, was born in undivided India.

5. $I/we agree to abide by the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981.

6. $ I/We do/do not require identity slip.

Note : No identity slip shall be issued to a person other than the one authorised vide paragraph 1(b) above in case of purchase on behalf of a minor.

————————————————
Signature (not thumb impression) of the person(s) authorised if any, as per paragraph 1(b) above.

Date——————————

Address——————————

————————————————
Signature (or thumb impression if illiterate) of applicant(s)$$

Date ——————————

Address——————————

$ The certificate(s) and the identity slip may be made over to Shri/Smt. —————————— Agent (Authority No.——————————) or messenger who presents this application.

————————————————
*%Signature (or thumb impression if illiterate) of investor(s)

Date ——————————

$Strike out portions not applicable.

$$If the applicant is illiterate, his father's name may also be given

%To be signed or thumb impression affixed only when the investor does not take delivery of certificates personally.

7. Received the certificate(s) detailed above and@identity slip.

————————————————
Signature or thumb impression of purchaser or his agent/messenger. (In case of authorised agent his Authority No. should be given).

@@Marks of identification of applicant(s)

@@ Specimen Signature(s) of applicant(s)

@Cross out, if the identity slip is not required.

@@To be furnished if identity slip is required under paragraph 6 and if the application is submitted through an agent, messenger of scheduled bank.

+8. Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I/we— ——————the holder(s) of Savings Certificate(s) mentioned in this application hereby nominate the person(s) mentioned below who shall, on my/our death, become entitled to the Savings Certificate(s) and the amount due thereon to the exclusion of all other persons :—

Serial No.	Name(s) of the Nominee(s)	Full address	Date of birth of nominee if minor.

As the nominee(s) at serial No.(s)————————————————abhve is/are minor(s), I/we appoint Shri/Smt./Kumari ————————————————(name and full address) as the person to receive the amount due thereon in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).

Signature and full address of witness

Signature (or thumb impression, if illiterate) of holder(s).

To be completed by the Post Office

Sl.No. of certificate Issued	Issue Prize Rs.	Date of payment of interest.	Date of ancashment and initials of Post-master	Remarks like transfer issue of duplicate, etc., and initials of Postmaster

Total Number of National Savings Certificates (VII Issue)————————————

&Amount realise Rs.————————————
Certificate(s) issued for Rs. ————————————
Amount refunded as per paragraph 3(b) Rs. ————————————

Date———————————— 19 Signature of Postmaster.

+Strike out poritions not applicable

&In case of investment by cheque/demand draft in foreign currency.

[F. 2/21/82-NS(ii)]

A. C. TIWARI, Joint Secy.

Note: Principalrules published vied G.S.R. No 310(E) dt. 24-4-1981.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982